बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

::- अधिसूचना -::

03-06-2021

AL-942/1/2021-SEC3 SCH-SWD/2169 राज्य में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन-पोषण, आवासन एवं शिक्षा के लिए अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु समाज कल्याण विभाग अंतर्गत एक नई योजना ''बाल सहायता योजना'' के संचालन एवं तदालोक में बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कोरोना महामारी के कारण अनाथ एवं बेसहारा 0-18 वर्ष आयु समूह के बच्चे, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु, जिसमें कम से कम किसी एक की मृत्यु कोरोना से हो गई हो, इस योजना के तहत पात्र माने जायेंगे। इस योजना अंतर्गत योग्य बच्चों, जो गैर-सांस्थिक व्यवस्था में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हो, को 18 वर्ष की आयु तक पालन-पोषण हेतु अनुदान राशि 1500/- रू0 (एक हजार पाँच सौ) प्रतिमाह देय होगा। योजना का लाभ प्रतिमाह लाभुकों एवं पालक परिवार के कर्त्ता के नाम खोले गए संयुक्त बचत खाता में हस्तानांतरित किया जायेगा। यह अनुदान केन्द्र सरकार के द्वारा कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को देय लाभ के अतिरिक्त होगा।

3. साथ ही गैर-सांस्थिक व्यवस्था अर्थात अभिभावक या पालक परिवार की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में किशोर न्याय (बालकों का देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानानुसार ऐसे अनाथ बच्चों की देख-रेख एवं उनका संरक्षण निबंधित बाल देख-रेख संस्थान में किया जायेगा।

4. साथ ही इस योजना के अंतर्गत योग्य बच्चियों का नामांकन कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर कराया जायेगा।

5. इस योजना का संचालन समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत कार्यरत राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा। इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. इस योजना के लिए एक अलग बैंक खाता राज्य बाल संरक्षण समिति तथा सक्षम में संधारित होगा। राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा सक्षम के बैंक खाता में राशि अंतरण किया जायेगा जिससे इस योजना के लिए State Level DBT के द्वारा नोडल अकाउंट से लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा तथा प्रावधानानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अधिसूचित व्यवसायिक बैंक में भी खोला जा सकता है। समाज कल्याण विभाग को भुगतान प्रक्रिया आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार होगा।

7. बाल सहायता योजना पर लोक वित समिति की अनुशंसा ज्ञापांक 186/लो0वि0/यो0वि0, पटना दिनांक 31.05.2021 द्वारा एवं मंत्रिपरिषद द्वारा संचिका संख्या- AL-942/1/2021-SEC3 SCH-SWD के पृष्ठ संख्या-11/टि0 पर दिनांक 01.06.2021 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विश्वासभाजन

3/6/21

(रमेश कुमार झा)
संयुक्त निदेशक,

प्रेस प्रकाश
03-06-2021

ज्ञापांक :- AL-942/1/2021-SEC3 SCH-SWD/...2169 पटना, दिनांक ...03-06-2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित विभाग/वित विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, आईसीडीएस, निदेशालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, 'सक्षम'/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस)/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/6/21

संयुक्त निदेशक,

ज्ञापांक : AL-942/1/2021-SEC3 SCH-SWD/...2169. दिनांक ...03-06-2021

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

3/6/21

संयुक्त निदेशक,

ज्ञापांक : AL-942/1/2021-SEC3 SCH-SWD/2169..... दिनांक .03-06-2021

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/सिंचाई भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

3/6/21

संयुक्त निदेशक,

ज्ञापांक : AL-942/1/2021-SEC3 SCH-SWD/...2169... दिनांक ...03-06-2021

प्रतिलिपिः विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि निर्गत स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3/6/21

संयुक्त निदेशक,

प्रेम प्रकाश
03-06-2021